WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082023-247744
CG-DL-E-01082023-247744

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3274] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 2023/श्रावण 9, 1945
No. 3274] NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 2023/SHRAVANA 9, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2023

सं. 27/2023-केन्द्रीय कर

का.आ. 3421(अ)— केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 अक्तूबर, 2023 को, उस तारीख के रुप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 123 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2023

No. 27/2023–Central Tax

S.O. 3421(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 1 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 2023, as the date on which the provisions of section 123 of the said Act shall come into force.

[F. No. CBIC-20006/20/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2023

सं. 28/2023-केन्द्रीय कर

का.आ. 3422(अ)— केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, -

(क) तारीख 1 अक्तूबर, 2023 को, उस तारीख के रुप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 137 से धारा 162 तक (धारा 149 से धारा 154 के सिवाय) के उपबंध प्रवर्त्त होंगे ;

(ख) तारीख 1 अगस्त, 2023 को, उस तारीख के रुप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 149 से धारा 154 के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2023

No. 28/2023–Central Tax

S.O. 3422(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 1 of the Finance Act, 2023 (8 of 2023), the Central Government hereby appoints, —

(a) the 1st day of October, 2023, as the date on which the provisions of sections 137 to 162 (except sections 149 to 154) of the said Act shall come into force;

(b) the 1st day of August, 2023, as the date on which the provisions of sections 149 to 154 of the said Act shall come into force.

[F. No. CBIC-20006/20/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2023

सं. 29/2023-केन्द्रीय कर

का.आ. 3423(अ)—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या अधिकारी द्वारा अनुपालन की जाने वाली निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया अधिसूचित करती है, जो एसएलपी (सी) संख्यांक 32709-32710/2018 भारत संघ बनाम फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में परिपत्र संख्या 182/14/2022-जीएसटी, तारीख 10 नवंबर, 2022 के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के अधीन उचित अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल करने का आशय रखता है।

2. आदेश के विरुद्ध अपील इस अधिसूचना के उपाबंध I पर दिये संलग्न प्ररूप में दो प्रतियों में की जाएगी और उक्त अधिनियम की यथा स्थिति, धारा 107 की उपधारा (1) या धारा 107 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट समय के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष मैन्युअल रूप से प्रस्तुत की जाएगी, और ऐसे समय की गणना इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख या उक्त आदेश की तारीख, जो भी पश्चातवर्ती हो, से की जाएगी :

परंतु इस अधिसूचना के जारी होने से पहले अपीलीय प्राधिकारी के पास उक्त अधिनियम की धारा 107 के उपबंधों के अनुसार आदेश के विरुद्ध फाइल कोई भी अपील इस अधिसूचना के अनुसार फाइल की गई मानी जाएगी।

3. अपीलार्थी को उक्त आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने की पूर्व शर्त के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट कोई भी रकम जमा करना अपेक्षित नहीं होगा।

4. इस अधिसूचना के अधीन फाइल की गई अपील के साथ आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति सहित सुसंगत दस्तावेज संलग्न होंगे और ऐसी अपील तथा सुसंगत दस्तावेजों पर केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 26 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

5. अपील की प्राप्ति पर जो इस अधिसूचना में उपबंधित सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है, अपील संख्यांक को उपदर्शित करते हुए एक पावती, अपीलीय प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्ररूप जीएसटी एपीएल -02 में मैन्युअल रूप से जारी की जाएगी और अपील केवल तभी फाइल की जाएगी जब उपरोक्त पावती जारी की हो।

6. अपीलीय प्राधिकारी, अपने आदेश के साथ, इस अधिसूचना के साथ उपाबंध-2 के रूप में संलग्न प्ररूप में आदेश का सारांश जारी करेगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

उपाबंध -1

अपीलीय प्राधिकारी को अपील

(एसएलपी (सी) सं. 32709-32710/2018 भारत संघ बनाम फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निदेर्शों के अनुसरण में परिपत्र संख्या 182/14/2022-जीएसटी, तारीख 10 नवंबर, 2022 के अनुसार पारित आदेश के विरुद्ध फाइल की गई)

1. जीएसटीआईएन-

2. अपीलार्थी का विधिक नाम -

3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो -

4. पता -

5. आदेश संख्या - आदेश तारीख -

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

6. जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसे पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम -

7. जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी संसूचना की तारीख -

8. प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम -

9. विवादाधीन मामले के ब्यौरे-

(i) विवादाधीन मामले का संक्षिप्त विवरण -

(ii) परिपत्र संख्यांक 182/14/2022-जीएसटी, तारीख 10 नवंबर, 2022 (अधिनियम-वार) जारी होने से पूर्व दावा की गई ट्रांजिशनल क्रेडिट की रकम।

(iii) उपरोक्त उपमद (ii) में निर्दिष्ट दावे के संबंध में धारा 73/74 के अधीन पारित किसी भी आदेश के ब्यौरे :

(क) आदेश संख्या - आदेश तारीख-

(ख) उक्त आदेश के अनुसार अनुज्ञात रकम (अधिनियम-वार) - रु.

(ग) उक्त आदेश के अनुसार उद्धहरण हुआ ब्याज और जुर्माना (अधिनियम-वार) - रु

(घ) क्या उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर की गई है - हां/नहीं

(ड.) यदि अपील फाइल की गई है तो अपील संख्या- अपील तारीख -

(च) उक्त अपील की प्रास्थिति - निस्तारित/लंबित

(छ) यदि अपील का निपटारा हो जाता है तो उक्त अपील के अनुसार स्वीकृत क्रेडिट रकम (अधिनियम-वार) - रु.

(iv) परिपत्र संख्यांक 182/14/2022-जीएसटी, तारीख 10 नवंबर, 2022 (अधिनियम-वार) जारी होने से पूर्व दावा की गई ट्रांजिशनल क्रेडिट की रकम।

(v) उपरोक्त उपमद (iii) में निर्दिष्ट दावे के अनुसरण में स्वीकृत क्रेडिट की रकम (अधिनियम-वार) - रु.

(vi) विवादाधीन रकम (अधिनियम-वार)- रु.

10. क्या अपीलार्थी व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है - हाँ/नहीं

11. तथ्यों का विवरण:

12. अपील के आधार:

13. प्रार्थना:

सत्यापन

मैं, < ____________________________ >, सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूं कि यहां ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

टिप्पण:

1. यदि किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाता है, तो अलग शीट का उपयोग किया जा सकेगा।
2. अक्षर "एन.ए." किसी भी मद के विरुद्ध अभिलिखित किया जा सकेगा जो इस अपील के लिए अपेक्षित नहीं है।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

उपाबंध -2

परिपत्र संख्या 182/14/2022-जीएसटी, तारीख 10 नवंबर, 2022 के अनुसार पारित किसी आदेश के संदर्भ में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने के पश्चात् उपलब्ध संक्रमणकालीन क्रेडिट का सारांश

क. जीएसटीआईएन -

ख. अपीलार्थी/व्यक्ति का नाम-

अपीलार्थी/व्यक्ति का पता -

ग. आदेश के विरुद्ध अपील की गई- संदर्भ (यदि कोई हो) तारीख-

घ. अपील संख्या तारीख-

ड.. व्यक्तिगत सुनवाई-

च. संक्षेप में आदेश-

छ. आदेश की प्रास्थिति- पुष्टि/उपांतरित/निरस्त

ज. अपील के पश्चात् क्रेडिट/मांग की राशि-

विशिष्टियां	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
(क) उचित अधिकारी के आदेश के अनुसरण में अनुज्ञेय पाई जाने वाली संक्रमणकालीन क्रेडिट रकम		
(ख) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम		

स्थान :

तारीख:

हस्ताक्षर:

अपीलीय प्राधिकारी का नाम:

पदनाम:

अधिकारिता:

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2023

No. 29/2023 – CENTRAL TAX

S.O. 3423(E).— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following special procedure to be followed by a registered person or an officer referred to in sub-section (2) of Section 107 of the said Act who intends to file an appeal against the order passed by the proper officer under section 73 or 74 of the said Act in accordance with Circular No. 182/14/2022-GST, dated 10th of November, 2022 pursuant to the directions of the Hon'ble Supreme Court in the case of Union of India v/s Filco Trade Centre Pvt. Ltd., SLP(C) No.32709-32710/2018.

2. An appeal against the order shall be made in duplicate in the Form appended to this notification at **ANNEXURE-1** and shall be presented manually before the Appellate Authority within the time specified in sub-section (1) of section 107 or sub-section (2) of section 107 of the said Act, as the case may be, and such time shall be computed from the date of issuance of this notification or the date of the said order, whichever is later:

Provided that any appeal against the order filed in accordance with the provisions of section 107 of the said Act with the Appellate Authority before the issuance of this notification, shall be deemed to have been filed in accordance with this notification.

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

3. The appellant shall not be required to deposit any amount as referred to in sub-section (6) of section 107 of the said Act as a pre-condition for filing an appeal against the said order.

4. An appeal filed under this notification shall be accompanied by relevant documents including a self-certified copy of the order and such appeal and relevant documents shall be signed by the person specified in sub-rule (2) of rule 26 of Central Goods and Services Tax Rules, 2017.

5. Upon receipt of the appeal which fulfills all the requirements as provided in this notification, an acknowledgement, indicating the appeal number, shall be issued manually in FORM GST APL-02 by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf and the appeal shall be treated as filed only when the aforesaid acknowledgement is issued.

6. The Appellate Authority shall, along with its order, issue a summary of the order in the Form appended to this notification as **ANNEXURE-2**.

[F. No. CBIC-20006/20/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

ANNEXURE-1

Appeal to Appellate Authority

(Filed against an order passed in accordance with Circular No. 182/14/2022-GST, dated 10th of November, 2022 pursuant to the directions issued by the Hon'ble Supreme Court in the Union of India v/s Filco Trade Centre Pvt. Ltd., SLP(C) No.32709-32710/2018)

1. GSTIN–
2. Legal name of the appellant –
3. Trade name, if any –
4. Address –
5. Order No. - Order dated –
6. Designation of the officer passing the order appealed against –
7. Date of communication of the order appealed against –
8. Name of the authorized representative –
9. Details of the case under dispute –

(i) Brief issue of the case under dispute –

(ii) Amount of transitional credit claimed **before** the issuance of circular no. 182/14/2022-GST, dated 10th of November, 2022 (Act-wise)–

(iii) Details of any order u/s 73/74 passed in respect of the claim referred to in sub-item (ii) above:

(a) Order No. - Order dated-

(b) Amount allowed as per said order (Act-wise)- Rs.

(c) Interest and penalty levied as per said order (Act-wise)- Rs.

(d) Whether any appeal preferred against said order- Yes/No

(e) If appeal filed then Appeal No.- Appeal Date-

(f) Status of said Appeal- Disposed/Pending

(g) If appeal disposed off then amount of credit allowed as per said Appeal (Act-wise)- Rs.

(iv) Amount of transitional credit claimed **after** the issuance of circular no. 182/14/2022-GST, dated 10th of November, 2022 (Act-wise)–

(v) Amount of credit allowed in pursuance of claim referred to in sub-item (iii) above (Act-wise)- Rs.

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(vi) Amount under dispute (Act-wise)- Rs.

10. Whether the appellant wishes to be heard in person – Yes / No

11. Statement of facts:

12. Grounds of appeal:

13. Prayer:

Verification

I, < __________________________ >, hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place:

Date:

Signature

Name of the Applicant

Note:

1. If the space provided for answering any item is found to be insufficient, separate sheets may be used.
2. The letters "N.A." may be recorded against any item that is not required for this Appeal.

ANNEXURE-2

SUMMARY OF TRANSITIONAL CREDIT AVAILABLE AFTER ISSUE OF ORDER BY THE APPELLATE AUTHORITY WITH REFERENCE TO AN ORDER PASSED IN ACCORDANCE WITH CIRCULAR NO. 182/14/2022-GST, DATED 10th of NOVEMBER, 2022

A. GSTIN -

B. Name of the Appellant/ person-

Address of the Appellant/person -

C. Order appealed against- Ref. (if any) Dated-

D. Appeal No. Dated-

E. Personal Hearing-

F. Order in Brief-

G. Status of Order- Confirmed/Modified/Rejected

H. Amount of Credit/ Demand after Appeal-

Particulars	Central Tax	State/UT Tax
a) Amount of transitional credit found to be admissible pursuant to order of the Proper Officer		
b) Amount determined by Appellate Authority		

Place:

Date:

Signature:
Name of the Appellate Authority:
Designation:
Jurisdiction:

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2023

सं. 30/2023-केन्द्रीय कर

का.आ. 3424(अ)—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, वह वर्णन जिसे इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट किया गया है और यथास्थिति, उक्त अनुसूची स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अधीन आती हो, माल के विनिर्माण में लगे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. पैकिंग मशीनों का विवरण

(1) इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित मालों के विनिर्माण में लगे सभी विद्यमान रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से इस अधिनिसूचना के जारी किए जाने के 20 दिन के भीतर **प्ररुप एस.आर.एम.-I** में पाउच या कंटेनर को भरने और पैक करने के लिए उपयोग की जा रही पैक करने वाली मशीनों के ब्यौरे को तैयार करेगा,-

प्ररुप एस.आर.एम.-I

क्र.सं.	मशीन का निर्माण और मॉडल नंबर (निर्माता के नाम सहित)	मशीन की खरीद की तारीख	काराबर के स्थान का पता जहां स्थापित किया गया है	पटरियों की संख्या	प्रत्येक ट्रैक की पैकिंग क्षमता	मशीन की कुल पैकिंग क्षमता	मशीन द्वारा प्रति घंटे बिजली की खपत	सहायक दस्तावेज़	मशीन की यूनिक आईडी (ऑटो पॉप्युलेट होने के लिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								<<चार्टेड इंजन से क्षमता प्रमाण पत्र >>	

(2) कोई भी व्यक्ति जो इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित माल का निर्माण करने का आशय रखता है और जिसे इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसी रजिस्ट्रेशन के मंजूरी के पंद्रह दिनों के भीतर सामान्य पोर्टल पर प्ररुप **एस.आर.एम.-I** में पाउच और कंटेनर को भरने और पैकिंग के लिए उपयोग की जा रही पैकिंग मशीनों के ब्यौरे को पूरा करेगा ।

(3) कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान में स्थापित की जा रही किसी भी अतिरिक्त भरने और पैकिंग मशीन के ब्यौरे **प्ररुप-आईआईए-।** में ऐसे अवस्थापन के 24 घंटे के भीतर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) **प्ररुप एसआरएम-I** या **प्ररुप एसआरएम-IIक** में ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने पर, प्रत्येक मशीन के लिए एक विशिष्ट आईडी तैयार की जाएगी, जिसके ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(5) यदि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने किसी अन्य सरकारी विभाग या किसी अन्य अभिकरण या संगठन को विनिर्माण इकाई या उसकी मशीनों को उत्पादन क्षमता प्रस्तुत या घोषित किया है, उक्त घोषणा या प्रस्तुत करने के पंद्रह दिनों के भीतर सामान्य पोर्टल पर **प्ररुप एसआरएम-Iक** में उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा :

परंतु जहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अपनी विनिर्माण इकाई या उसकी मशीनों की उत्पाद क्षमता को किसी अन्य सरकारी विभाग या किसी अन्य अभिकरण या संगठन को इस अधिसूचना को जारी करने से पूर्व प्रस्तुत या घोषित किया है, इस अधिसूचना के जारी किए जाने के तीस दिन के भीतर सामान्य पोर्टल पर **प्ररुप एसआरएम-Iक** में उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा ।

प्ररुप एसआरएम-I क

क्र.सं.	सरकारी विभाग/किसी अन्य एजेंसी या संगठन का नाम	घोषणा/प्रस्तुति का प्रकार	घोषणा/प्रस्तुति का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)
		<<घोषणा की प्रति को पोर्टल पर अपलोड किया जाना>>	

प्ररुप एसआरएम-IIक

[अतिरिक्त मशीन (नों) के अवस्थापन के ब्यौरे]

क्र.सं.	मशीन का मेक और मॉडल नंबर (निर्माता के नाम सहित)	मशीन की खरीद की तारीख	मशीन की स्थापना की तारीख	काराबर के स्थान का पता जहां स्थापित किया गया है	पटरियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्रत्येक ट्रैक की पैकिंग क्षमता	मशीन की कुल पैकिंग क्षमता	मशीन द्वारा प्रति घंटे बिजली की खपत	सहायक दस्तावेज़	मशीन की यूनिक आईडी (ऑटो पॉप्युलेट होने के लिए))
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			<<चार्टेड इंजीनियर से क्षमता प्रमानपत्र>>	

(6) कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से हटाए गए किसी विद्यमान भरने और पैक करने वाली मशीन के ब्यौरे को **प्ररुप एस.आर.एम.-IIख** में ऐसे हटाए जाने के 24 घंटे के भीतर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा ।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

प्ररुप एस.आर.एम.-IIख

[विद्यमान मशीन (नों) के हटाए जाने के ब्यौरे]

क्र. सं.	मशीन की यूनिक आईडी	मशीन का निर्माण और मॉडल नंबर << ऑटो-पॉप्युलेट >>	मशीन की खरीद की तारीख << ऑटो-पॉप्युलेट >	कारबार के स्थान का पता जहां से मशीन को हटाया जाता है. << ऑटो-पॉप्युलेट >>	पटरियों की संख्या << ऑटो-पॉप्युलेट >>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्रत्येक ट्रैक की पैकिंग क्षमता << ऑटो-पॉप्युलेट >>	मशीन की कुल पैकिंग क्षमता << ऑटो-पॉप्युलेट >>	हटाने की तारीख	मशीन को हटाने/निपटान करने के कारण।
(7)	(8)	(9)	(10)
			<< तीसरे पक्ष को बेचा गया >> <<कबाड़ >>

2. अनुसूची में उल्लिखित माल के विनिर्माण करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा रखरखाव किए जाने के लिए अतिरिक्त अभिलेख

(1) अनुसूची में उल्लिखित माल के विनिर्माण में लगा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कारबार के प्रत्येक स्थान में **प्ररुप एस.आर.एम.-IIIक** में यथानिर्दिष्ट प्ररुप में इलेक्ट्रानिक मीटर और जनरेटर सेट मीटर की दैनिक रीडिंग के रिकार्ड के साथ-साथ जनित किए गए अपशिष्ट के ब्यौरे के साथ-साथ मात्रा और मूल्य के निबंधन में प्रोद्यभूत और उपयोग किए जा रहे इनपुट के दैनिक अभिलेख को रखेगा।

(2) तथापि, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कारबार के प्रत्येक स्थान में **प्ररुप एस.आर.एम.-IIIख** में यथाविनिर्दिष्ट एक प्ररुप में मात्रा और मूल्य के निबंधन में मशीन-वार उत्पादन, उत्पाद-वार और ब्रांड-वार अनापत्ति के ब्यौरे के दैनिक शिफ्ट-वार अभिलेख भी रखेगा।

प्ररुप एस.आर.एम.-IIIक

इनपुट रजिस्टर

दिन 1	*इनपुट का एचएसएन*	*इनपुट का विवरण*	*इकाई की मात्रा*	*प्रारंभिक रोकड़ (इकाइयों में)*	*खरीदी गई मात्रा (इकाइयों में)*	*खरीदी गई मात्रा (रुपये में मूल्य)*	*क्यूटी खपत (इकाइयों में)*	*क्यूटी खपत (इकाइयों में)*	*उक्त इनपुट (इकाइयों में) के संबंध में उत्पन्न अपशिष्ट*
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	एचएसएन 1								

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

	एचएसएन 2								
	एचएसएन 3								
	⋮ ⋮								
	एचएसएन								
दिन 2									
दिन 3									
……									
महीने का अंतिम दिन									

दिन 1	बिजली रीडिंग					
	बिजली रीडिंग			जनरेटर सेट मीटर रीडिंग		
	प्रारंभिक मीटर रीडिंग	अंतिम मीटर रीडिंग	खपत (किवा.)	प्रारंभिक मीटर रीडिंग	अंतिम मीटर रीडिंग	खपत (किवा.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दिन 2						
…..						
मास का अंतिम दिन						

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

प्ररुप एस.आर.एम.-IIIख
उत्पादन रजिस्ट्रर

		ब्रांड बी.1											ब्रांड 2	ब्रांड बीएन
		मशीन एम 1 (मशीन की विशिष्ट आईडी का उल्लेख करें)								एम. 2	एम एल	सभी मशीनों की कुल संख्या	....	....
		पैक किए गए पाउच पी 1 की कुल संख्या	पाउच पी.1 का इकाई मान	पैक किए गए पाउच पी 1 का कुल मूल्य (वी 1) (रुपये में)	पाउच की कुल संख्या ... पी.एन. पी.पैक्ड	पाउच का मूल्य ... पी.एन.	पाउच पीएन पैक (वीएन) का कुल मूल्य (रुपये में)	मशीन द्वारा पैक किए गए पाउच की कुल संख्या एम.1 (पी.1+पी.2+..पी.एन.)	मशीन द्वारा पैक किए गए पाउच का कुल मूल्य एम.1 (रु. में) (वी.1+वी.2+..वी.एन.)	...	---	सभी मशीनों द्वारा ब्रांड बी.1 का कुल उत्पादन मूल्य (रुपये)		
दिन 1	शिफ्ट1 00:00 से 00.00 घंटे													
	शिफ्ट 2 00:00 से 00.00 घंटे													
	शिफ्ट3 00:00 से 00.00 घंटे													
	दिन के लिए कुल 1													
दिन 2														
माह का ....दिन														

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

	माह के लिए कुल													

3. विशेष मासिक कथन

(1) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के दसवें दिन या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल पर **प्ररुप एस.आर.एम-IV** में प्रत्येक माह के लिए विशेष कथन प्रस्तुत करेगा ।

प्ररुप एस.आर.एम-IV

अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माता द्वारा उपयोग किए गए आदानों और अंतिम माल का मासिक विवरण

भाग-क

महीने के लिए कुल	*इनपुट का एचएसएन*	*इनपुट का विवरण*	*इकाई की मात्रा*	*प्रारंभिक रोकड़ (इकाइयों में)*	*खरीदी गई मात्रा (इकाइयों में)*	*खरीदी गई मात्रा (रुपये में मूल्य)*	*मात्रा खपत (इकाइयों में)*	*अंतिम शेष राशि (इकाइयों में)*	*उत्पन्न अपशिष्ट (इकाइयों में)*
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	एचएसएन 1								
	एचएसएन 2								
	एचएसएन 3								
	…….								
	एचएसएन								

मास के लिए कुल 1	बिजली रीडिंग					
	बिजली रीडिंग			जनरेटर सेट मीटर रीडिंग		
	प्रारंभिक मीटर रीडिंग	अंतिम मीटर रीडिंग	खपत (किवा.)	प्रारंभिक मीटर रीडिंग	अंतिम मीटर रीडिंग	खपत (किवा.)
	(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

माल के उत्पादन का विवरण

भाग-ख

		ब्रांड बी.1											ब्रांड 2	ब्रांड बीएन
		मशीन एम 1 (मशीन की विशिष्ट आईडी का उल्लेख करें)								एम.2	एमएल	सभी मशीनों की कुल संख्या	......	......
		पैक किए गए पाउच पी 1 की कुल संख्या	पाउच पी.1 का इकाई मान	पैक किए गए पाउच पी 1 का कुल मूल्य (वी 1) (रुपये में)	पाउच की कुल संख्या ... पी.एन. पी.पैक्ड	पाउच का मूल्य ... पी.एन.	पाउच पीएन पैक (वीएन) का कुल मूल्य (रुपये में)	मशीन द्वारा पैक किए गए पाउच की कुल संख्या एम.1 (पी.1+पी.2 +..पी.एन.)	मशीन द्वारा पैक किए गए पाउच का कुल मूल्य एम.1 (रु. में) (वी.1+ वी.2+.. वी.एन.)	...	---	सभी मशीनों द्वारा ब्रांड बी.1 का कुल उत्पादन मूल्य (रुपये)		
	माह के लिए कुल													

अनुसूची

क्र.सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	पान-मसाला
2.	2401	अनिर्मित तंबाकू (लाइम ट्यूब के बिना) - एक ब्रांड नाम के साथ
3.	2401	अनिर्मित तंबाकू (चूने की ट्यूब के साथ) - एक ब्रांड नाम के साथ
4.	2401 30 00	तंबाकू से इंकार, एक ब्रांड नाम तंबाकू से इंकार, एक ब्रांड नाम
5.	2403 11 10	'हुक्का' या 'गुडाकू' तंबाकू जिसका ब्रांड नाम है
6.	2403 11 10	'हुक्का' या 'चिलम' धूम्रपान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तंबाकू जिसे आमतौर पर 'हुक्का' तंबाकू या 'गुडाकू' के रूप में जाना जाता है, जिसका ब्रांड नाम नहीं है
7.	2403 11 90	अन्य पानी पाइप धूम्रपान तंबाकू एक ब्रांड नाम नहीं रखते हैं।
8.	2403 19 10	पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण
9.	2403 19 90	ब्रांड नाम वाले अन्य धूम्रपान तंबाकू
10.	2403 19 90	अन्य धूम्रपान करने वाले तंबाकू का ब्रांड नाम नहीं है
11.	2403 91 00	"होमोजेनाइज्ड" या "पुनर्गठित" तंबाकू, जिसका ब्रांड नाम है

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

12	2403 99 10	चबाने वाला तंबाकू (चूने की ट्यूब के बिना)
13.	2403 99 10	चबाने वाला तंबाकू (चूना ट्यूब के साथ)
14.	2403 99 10	फ़िल्टर खैनी
15.	2403 99 20	चबाने वाले तंबाकू युक्त तैयारी
16.	2403 99 30	जर्दा सुगंधित तंबाकू
17.	2403 99 40	सुंघनी
18.	2403 99 50	सुंघनी युक्त तैयारी
19.	2403 99 60	तंबाकू के अर्क और एक ब्रांड नाम वाले सार
20.	2403 99 60	तंबाकू के अर्क और सार पर ब्रांड नाम नहीं है
21.	2403 99 70	तंबाकू में कटौती
22.	2403 99 90	पान मसाला जिसमें तंबाकू 'गुटखा' होता है
23.	2403 99 90	पान मसाला के अलावा तंबाकू 'गुटखा' युक्त सभी सामान, एक ब्रांड नाम के साथ
24.	2403 99 90	पान मसाला के अलावा तंबाकू 'गुटखा' युक्त सभी सामान, जिनका ब्रांड नाम नहीं है

स्पटीकरण

(1) अनुसूची में, “टैरिफ मद”, “शीर्ष”, “उपशीर्ष” तथा “अध्याय” से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद शीर्ष, उपशीर्ष और अध्याय अभिप्रेत है।

(2) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के निर्वचन के लिए नियम जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची की धारा तथा अध्याय टिप्पण और साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, इस अधिसूचना के निर्वचन में जहां तक वे लागू हैं।

(3) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “ब्रांड नाम” वाक्यांश से ब्रांड नाम या व्यापार नाम चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो अथवा नहीं, जैसाकि कहा जाता है एक नाम या मार्क अभिप्रेत है, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या लिखा जाना, जो चिह्नित करने के प्रयोजन के लिए ऐसे विशिष्ट माल के संबंध में प्रयोग किया जाता है या ऐसे विशिष्ट माल के मध्य व्यापार के अनुक्रम में संबंध को दर्शित करता हो तथा कुछ व्यक्ति ऐसे नाम या चिह्न के साथ या उस व्यक्ति की पहचान के किसी चिह्नांकन के बिना प्रयोग किया जाता हो।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2023

NO. 30/2023–CENTRALTAX

S.O. 3424(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following special procedure to be followed by a registered person engaged in manufacturing of the goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the Schedule appended to this notification, and falling under the tariff item, sub- heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, namely: —

1. Details of Packing Machines

(1) All the existing registered persons engaged in manufacturing of the goods mentioned in Schedule to this notification shall furnish the details of packing machines being used for filling and packing of pouches or containers in **FORM SRM-I**, within 30 days of issuance of this notification, electronically on the common portal,—

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

FORM SRM-I

Serial No.	Make and Model No. of the Machine (including the name of manufacturer)	Date of Purchase of the Machine	Address of place of business where installed	No. of Tracks	Packing Capacity of each track	Total packing capacity of machine	Electricity consumption by the machine per hour	Supporting Documents	Unique ID of the machine (to be auto populated)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
								<<Capacity certificate from Chartered Engineer>>	

(2) Any person intending to manufacture goods as mentioned in Schedule to this notification, and who has been granted registration after the issuance of this notification, shall furnish the details of packing machines being used for filling and packing of pouches or containers in **FORM SRM-I** on the common portal, within fifteen days of grant of such registration.

(3) The details of any additional filling and packing machine being installed in the registered place of business shall be furnished, electronically on the common portal, by the said registered person within 24 hours of such installation in **FORM SRM-IIA.**

(4) Upon furnishing of such details in **FORM SRM-I** or **FORM SRM-IIA**, a unique ID shall be generated for each machine, whose details have been furnished by the registered person, on the common portal.

(5) In case, the said registered person has submitted or declared the production capacity of his manufacturing unit or his machines, to any other government department or any other agency or organization, the same shall be furnished by the said registered person in **FORM SRM-IA** on the common portal, within fifteen days of filing said declaration or submission:

Provided that where the said registered person has submitted or declared the production capacity of his manufacturing unit or his machines, to any other government department or any other agency or organization, before the issuance of this notification, the same shall be furnished by the said registered person in **FORM SRM-IA** on the common portal, within thirty days of issuance of this notification.

FORM SRM-IA

Serial No.	Name of Govt. Department/ any other agency or organization	Type of Declaration/ Submission	Details of Declaration/Submission
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
		<<copy of declaration to be uploaded on the portal>>	

FORM SRM-IIA

[Details of installation of additional machine(s)]

Serial No.	Make and Model No. of the Machine (including the name of manufacturer)	Date of Purchase of the Machine	Date of installation of the Machine	Address of place of business where installed	No. of Tracks
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**

Packing Capacity of each track	Total packing capacity of machine	Electricity consumption by the machine per hour	Supporting Documents	Unique ID of the machine (to be auto

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

				populated)
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
			<<Capacity certificate from Chartered Engineer>>	

(6) The details of any existing filling and packing machine removed from the registered place of business shall be furnished, electronically on the common portal, by the said registered person within 24 hours of such removal in **FORM SRM-IIB.**

FORM SRM-IIB
[Details of removal of the existing machine(s)]

SerialNo.	Unique ID of the machine	Make and Model No. of the Machine <<auto-populated>>	Date of Purchase of the Machine <<auto-populated>>	Address of place of business from where the machine is removed. <<auto-populated>>	No. of Tracks <<auto-populated>>
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**

Packing Capacity of each track <<auto-populated>>	Total packing capacity of machine <<auto-populated>>	Date of Removal	Reasons for removal/disposal of the machine.
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
			<<Sold to third party>> <<Scrap>>

2. Additional records to be maintained by the registered persons manufacturing the goods mentioned in the Schedule

(1) Every registered person engaged in manufacturing of goods mentioned in Schedule shall keep a daily record of inputs being procured and utilized in quantity and value terms along with the details of waste generated as well as the daily record of reading of electricity meters and generator set meters in a format as specified in **FORM SRM-IIIA** in each place of business.

(2) Further, the said registered person shall also keep a daily shift-wise record of machine-wise production, product-wise and brand-wise details of clearance in quantity and value terms in a format as specified in **FORM SRM-IIIB** in each place of business.

FORM SRM-IIIA

Inputs Register

Day1	*HSN of the Input*	*Description of the Input*	*Unit quantity*	*Opening Balance (in units)*	*Quantity procured (in units)*	*Quantity procured (value in Rs)*	*Qty Consumed (in units)*	*Closing Balance (in units)*	*Waste generated in respect of the said input (qty) (in units)*

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	HSN1								
	HSN2								
	HSN3								
	: : :								
	HSNn								
Day 2									
Day 3									
……									
Last Day of Month									

	Electricity Reading					
	Electricity meter reading			*Generator set meter reading*		
Day 1	*Initial Meter Reading*	*Final Meter Reading*	*Consumption (kwH)*	*Initial Meter Reading*	*Final Meter Reading*	*Consumption (kwH)*
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Day 2						
…..						
Last Day of Month						

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

FORM SRM-IIIB
Production Register

		Brand B1											Brand B2	Brand Bn
		Machine M1(Mention Unique ID of the machine)								M2	Mn	Total of all machines		
		Total no. of Pouch P1 packed	Unit Value Of Pouch P1	Total Value Of Pouches P1 Packed(V1) (in Rs)	Total no. of Pouch ...Pn packed	Value Of Pouch ...Pn	Total Value Of Pouches Pn Packed (Vn) (in Rs)	Total No. of pouches Packed by Machine M1 (P1+P2+..Pn)	Total value of Pouches packed By machine M1 (in Rs) (V1+V2+..Vn)	...	---	Total Production value of Brand B1 by all machines (Rs)		
Day 1	Shift 1 00:00 to 00.00 hrs													
	Shift 2 00:00 to 00.00 hrs													
	Shift 3 00:00 to 00.00 hrs													
	Total for Day 1													
Day 2														
....Dayn of the month														
	Total for the Month													

3. Special Monthly Statement

(1) The said registered person shall submit a special statement for each month in **FORM SRM-IV** on the common portal, on or before the tenth day of the month succeeding such month.

FORM SRM-IV

Monthly Statement of Inputs used and the final goods produced by the manufacturer of goods specified in Schedule

PART-A

Total for Month	*HSN of the Input*	*Description of the Input*	*Unit quantity*	*Opening Balance (in units)*	*Quantity procured (in units)*
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

	HSN1				
	HSN2				
	HSN3				
	…….				
	HSNn				

Quantity procured (value in Rs)	*Qty Consumed (in units)*	*Closing Balance (in units)*	*Waste generated qty (in units)*
(6)	*(7)*	*(8)*	*(9)*

	Electricity Reading					
	Electricity meter reading			DG set meter reading		
Total for the Month	Initial Meter Reading on Day 1 of the month	Final Meter Reading on last day of the month	Consumption (kwH)	Initial Meter Reading on Day 1 of the month	Final Meter Reading on last day of the month	Consumption (kwH)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Statement of production of goods

PART-B

	Brand B1											*Brand B2*	*Brand Bn*
	Machine M1								*M 2*	*M n*	*Total of all machines*	……	……
	Total no. of	*MRP Val*	*Total Value Of*	*Total no. of*	*Value Of*	*Total Value Of*	*Total No. of pouches*	*Total value of Pouches*	…	---	*Total Production*	……	……

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

	Pouch P1 packed	*ue Of Pouch P1*	*Pouches P1 Packed(V1) (in Rs)*	*Pouch Pn packed*	*Pouch Pn*	*Pouches Pn Packed (Vn) (in Rs)*	*Packed by Machine M1 (P1+P2+..Pn)*	*packed By machine M1 (in Rs) (V1+V2+..Vn)*			*value of Brand B1 by all machines (Rs)*		
Total for the Month													

SCHEDULE

S.No	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	2106 90 20	Pan-masala
2.	2401	Unmanufactured tobacco (without lime tube) – bearing a brand name
3.	2401	Unmanufactured tobacco (with lime tube) – bearing a brand name
4.	2401 30 00	Tobacco refuse, bearing a brand name
5.	2403 11 10	'Hookah' or 'gudaku' tobacco bearing a brand name
6.	2403 11 10	Tobacco used for smoking 'hookah' or 'chilam' commonly known as 'hookah' tobacco or 'gudaku' not bearing a brand name
7.	2403 11 90	Other water pipe smoking tobacco not bearing a brand name.
8.	2403 19 10	Smoking mixtures for pipes and cigarettes
9.	2403 19 90	Other smoking tobacco bearing a brand name
10.	2403 19 90	Other smoking tobacco not bearing a brand name
11.	2403 91 00	"Homogenised" or "reconstituted" tobacco, bearing a brand name
12	2403 99 10	Chewing tobacco (without lime tube)
13.	2403 99 10	Chewing tobacco (with lime tube)
14.	2403 99 10	Filter khaini
15.	2403 99 20	Preparations containing chewing tobacco
16.	2403 99 30	Jarda scented tobacco
17.	2403 99 40	Snuff
18.	2403 99 50	Preparations containing snuff
19.	2403 99 60	Tobacco extracts and essence bearing a brand name
20.	2403 99 60	Tobacco extracts and essence not bearing a brand Name
21.	2403 99 70	Cut tobacco
22.	2403 99 90	Pan masala containing tobacco 'Gutkha'
23.	2403 99 90	All goods, other than pan masala containing tobacco 'gutkha', bearing a brand name
24.	2403 99 90	All goods, other than pan masala containing tobacco 'gutkha', not bearing a brand name

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

***Explanation*.–**

(1) In this Schedule, "tariff item", "heading", "sub-heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

(3) For the purposes of this notification, the phrase "brand name" means brand name or trade name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, label, signature or invented word or writing which is used in relation to such specified goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

[F. No. CBIC-20006/20/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.